INDIAN JOURNAL OF LEGAL AFFAIRS AND RESEARCH

VOLUME 3 ISSUE 1

Peer-reviewed, open-access, refereed journal

IJLAR

+91 70421 48991
editor@ijlar.com
www.ijlar.com

DISCLAIMER

The views and opinions expressed in the articles published in the Indian Journal of Legal Affairs and Research are those of the respective authors and do not necessarily reflect the official policy or position of the IJLAR, its editorial board, or its affiliated institutions. The IJLAR assumes no responsibility for any errors or omissions in the content of the journal. The information provided in this journal is for general informational purposes only and should not be construed as legal advice. Readers are encouraged to seek professional legal counsel for specific legal issues. The IJLAR and its affiliates shall not be liable for any loss or damage arising from the use of the information contained in this journal.

IJLAR

Introduction

Welcome to the Indian Journal of Legal Affairs and Research (IJLAR), a distinguished platform dedicated to the dissemination of comprehensive legal scholarship and academic research. Our mission is to foster an environment where legal professionals, academics, and students can collaborate and contribute to the evolving discourse in the field of law. We strive to publish high-quality, peer-reviewed articles that provide insightful analysis, innovative perspectives, and practical solutions to contemporary legal challenges. The IJLAR is committed to advancing legal knowledge and practice by bridging the gap between theory and practice.

IJLAR

Preface

The Indian Journal of Legal Affairs and Research is a testament to our unwavering commitment to excellence in legal scholarship. This volume presents a curated selection of articles that reflect the diverse and dynamic nature of legal studies today. Our contributors, ranging from esteemed legal scholars to emerging academics, bring forward a rich tapestry of insights that address critical legal issues and offer novel contributions to the field. We are grateful to our editorial board, reviewers, and authors for their dedication and hard work, which have made this publication possible. It is our hope that this journal will serve as a valuable resource for researchers, practitioners, and policymakers, and will inspire further inquiry and debate within the legal community.

IJLAR

Description

The Indian Journal of Legal Affairs and Research is an academic journal that publishes peer-reviewed articles on a wide range of legal topics. Each issue is designed to provide a platform for legal scholars, practitioners, and students to share their research findings, theoretical explorations, and practical insights. Our journal covers various branches of law, including but not limited to constitutional law, international law, criminal law, commercial law, human rights, and environmental law. We are dedicated to ensuring that the articles published in our journal adhere to the highest standards of academic rigor and contribute meaningfully to the understanding and development of legal theories and practices.

IJLAR

भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता : विधिक एवं नैतिक समाधान

छोटेलाल

शोधार्थी, विधि संकाय,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो० (डॉ०) हरीश चन्द्र राम

विधि संकाय,

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सार

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया संचार, अभिव्यक्ति एवं सामाजिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है, किन्तु इसके साथ महिलाओं के प्रति ऑनलाइन असंवेदनशीलता, साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग तथा अश्लील टिप्पणियों जैसी समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। प्रस्तुत अध्ययन "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय पर आधारित है। यह अध्ययन गुणात्मक एवं वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है तथा इसमें द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों एवं प्रमुख न्यायालयीय निर्णयों का विश्लेषण किया गया है। विशेष रूप से श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, सुहास कट्टी बनाम तमिलनाडु राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य तथा अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जैसे निर्णय विधि के माध्यम से महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा, गरिमा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से

संबंधित विधिक और नैतिक पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता, डिजिटल साक्षरता की कमी तथा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की अपर्याप्त निगरानी नीतियाँ महिलाओं के प्रति ऑनलाइन असंवेदनशीलता को बढ़ावा देती हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी विधिक क्रियान्वयन, डिजिटल नैतिकता, लैंगिक संवेदनशीलता तथा सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द

सोशल मीडिया, महिलाएँ, असंवेदनशीलता, साइबर अपराध, विधिक समाधान, नैतिकता, डिजिटल साक्षरता, भारत

1. भूमिका

सोशल मीडिया ने हमारे समाज को संचार और सूचना के आदान–प्रदान के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां लोग अपने विचारों, भावनाओं और गतिविधियों को साझा करते हैं, साथ ही समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया ने कई सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, जैसे कि शिक्षा, राजनीति, और समाज में जागरूकता फैलाने में मदद करना, लेकिन इसने कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी जन्म दिया है। विशेष रूप से महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध और अपमान की घटनाएं चिंताजनक हैं।

भारत में महिलाओं के लिए सोशल मीडिया के प्रभाव को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ, उत्पीड़न और हिंसा का क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसे कृत्य महिलाओं की गरिमा, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को चोट पहुंचाते हैं। यह सवाल भी उठता है कि इस असंवेदनशीलता को रोकने के लिए विधिक और नैतिक दृष्टिकोण से क्या समाधान हो सकते हैं। इस भूमिका में हम इस विषय के प्रमुख पहलुओं की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के समाधान के लिए कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं।

1.1 सोशल मीडिया का उद्भव और विकास

सोशल मीडिया का उद्भव और विकास 21वीं सदी के तकनीकी विकास से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। पहले जहां संचार के साधन सीमित थे, वहीं इंटरनेट के आने के साथ वैश्विक स्तर पर जानकारी का आदान–प्रदान बेहद तेज हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप ने लोगों को एक नया चैनल दिया, जिसके माध्यम से वे अपनी विचारधारा, तात्कालिक घटनाओं और निजी अनुभवों को साझा कर सकते थे।

सोशल मीडिया का प्रमुख उद्देश्य था लोगों को एक दूसरे से जोड़ना और विभिन्न विचारों का आदान–प्रदान करना। शुरुआत में इसे व्यक्तिगत जुड़ाव और सामुदायिक संवाद के रूप में देखा गया था, लेकिन जैसे–जैसे इसका उपयोग बढ़ा, वैसे–वैसे इसने अन्य व्यवसायिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी अपनी पैठ बनाई। अब सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह प्रचार, विपणन और व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

हालांकि सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों के साथ–साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आए हैं। महिलाओं को अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमान, शारीरिक या मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि और इसके खिलाफ प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है।

1.2 भारतीय समाज में सोशल मीडिया की भूमिका

भारत में सोशल मीडिया ने समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। जहां एक ओर यह माध्यम समाज में सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से करता है, वहीं दूसरी ओर यह एक मंच बन चुका है, जहां सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा होती है। भारतीय समाज में सोशल मीडिया ने न केवल लोगों को जोड़ने का काम किया है, बल्कि यह सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण साधन बना है। महिलाओं के संदर्भ में सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी आवाज उठाने, समाज में फैले भेदभाव और असमानता के खिलाफ बात करने का एक मंच प्रदान किया है। महिलाएं अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी

समस्याओं को साझा कर सकती हैं, अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं।

हालांकि, भारतीय समाज में सोशल मीडिया का उपयोग महिलाओं के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। यहां महिलाओं के खिलाफ शोषण, उत्पीड़न और अभद्र टिप्पणी की घटनाएं बढ़ी हैं। इंटरनेट पर महिलाओं को ''ऑनलाइन गैंगरेप'', ''फेसबुक पर छेड़छाड़'', ''यूट्यूब पर गाली–गलौज'' जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो न केवल उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं बल्कि उनके आत्म–सम्मान को भी ठेस पहुंचाती हैं।

1.3 महिलाओं के संदर्भ में सोशल मीडिया की संवेदनशीलता का प्रश्न

सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रश्न भारतीय समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा को हमेशा खतरे में डालने वाली कई घटनाएं सोशल मीडिया पर घटित हो चुकी हैं। महिला उत्पीड़न, अपमानजनक टिप्पणियां, नफरत भरे संदेश, और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट्स महिलाओं के लिए ऑनलाइन दुनिया को एक खतरनाक स्थान बना देती हैं।

इस संवेदनशीलता के कई पहलू हैं। एक ओर जहां महिलाओं को सोशल मीडिया के जरिए सशक्तिकरण और समान अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर यह एक मंच बन गया है जहां उनका शोषण और अपमान किया जाता है। सोशल मीडिया पर अशोभनीय तस्वीरों, अश्लील वीडियो और भ्रामक जानकारी के जरिए महिलाओं की छवि को बिगाड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

महिलाओं के खिलाफ होने वाली इन घटनाओं को रोकने के लिए विधिक और नैतिक उपायों की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनों का होना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ कठोर कदम उठाना जरूरी है। इस संदर्भ में भारतीय समाज में सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षिक प्रयास भी आवश्यक हैं।

1.4 उद्देश्यः

1. महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता की समस्या को समझना।
2. सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधिक उपायों की जांच करना।
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के खिलाफ नैतिक समाधान प्रस्तावित करना।
4. महिलाओं के लिए सोशल मीडिया पर एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देना।
5. सोशल मीडिया पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना।
6. सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए समाज में जागरूकता फैलाना।

2. भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता के कारण

2.1 पितृसत्तात्मक मानसिकता

भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता के एक प्रमुख कारण के रूप में पितृसत्तात्मक मानसिकता को देखा जा सकता है। भारतीय समाज में पुरुषों को अधिकार और नेतृत्व की स्थिति में रखा जाता है, जबकि महिलाओं को अक्सर अधीनस्थ या केवल घर की भूमिकाओं तक सीमित किया जाता है। यह मानसिकता ऑनलाइन दुनिया में भी प्रकट होती है, जहां महिलाओं को उनकी आजादी और स्वतंत्रता के लिए चुनौती दी जाती है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता और शोषण इस मानसिकता का परिणाम है, जिसमें महिलाएं पुरुषों द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों और दुष्कृत्य का शिकार होती हैं। इस मानसिकता को बदलने के लिए समाज में समानता और महिलाओं के अधिकारों की पहचान जरूरी है, ताकि वे सोशल मीडिया पर भी सुरक्षित रूप से अपनी बात रख सकें और उन्हें शोषण का सामना न करना पड़े।

2.2 डिजिटल साक्षरता की कमी

भारत में महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में कमी एक और महत्वपूर्ण कारण है, जो सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता को बढ़ाता है। बहुत सी महिलाएं तकनीकी दृष्टि से अज्ञात रहती हैं और सोशल मीडिया के उपयोग के दौरान उन्हें समझ नहीं आता कि वे किस प्रकार के खतरों का सामना कर सकती हैं। असमर्थता के कारण महिलाएं ऑनलाइन उत्पीड़न के बारे में जागरूक नहीं होतीं और उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए उचित उपाय भी नहीं होते। इस कारण, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक और असंवेदनशील व्यवहार बढ़ जाता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे, ताकि महिलाएं सुरक्षित रूप से ऑनलाइन वातावरण का उपयोग कर सकें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।

2.3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियाँ और उनकी सीमाएँ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशीलता का एक कारण उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों और उनकी सीमाओं का प्रभावी ढंग से लागू न होना है। अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा, छेड़छाड़ और अन्य हिंसात्मक कार्यों के खिलाफ नीतियां बनाई हैं, लेकिन ये नीतियां कई बार अप्रभावी साबित होती हैं। इसका कारण प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री की निगरानी की कमी, उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान में देरी और उपयोगकर्ताओं को सही तरीके से संवेदनशीलता के बारे में सूचित न करना है। जब तक प्लेटफॉर्म्स अपने नियमों का कड़ाई से पालन नहीं करेंगे और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता और उत्पीड़न के मामलों में कमी लाना मुश्किल होगा।

2.4 विधि के प्रति जागरूकता का अभाव

भारत में महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता के खिलाफ विधिक उपायों के प्रति जागरूकता का अभाव भी एक बड़ा कारण है। कई महिलाएं यह नहीं जानतीं कि सोशल मीडिया पर होने वाले उत्पीड़न और असंवेदनशील व्यवहार के खिलाफ क्या विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय विधि में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 की धारा 66डी और 66एफ, लेकिन अधिकतर

महिलाएं इन अधिकारों के प्रति अनजान रहती हैं। इस जागरूकता की कमी के कारण, महिलाएं उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पातीं, और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जाता। इसके लिए सरकार को महिलाओं को विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं सोशल मीडिया पर उत्पीड़न होने पर विधिक सहायता प्राप्त कर सकें।

3. महिलाओं पर सोशल मीडिया असंवेदनशीलता के प्रभाव

3.1 मानसिक एवं भावनात्मक प्रभाव

सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता के मानसिक और भावनात्मक प्रभाव गहरे होते हैं। जब महिलाएं अपमानजनक टिप्पणियों और हिंसात्मक कृत्यों का शिकार होती हैं, तो इसका उन पर मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद पर प्रभाव पड़ता है। यह न केवल उनकी आत्म–सम्मान को चोट पहुँचाता है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी घटता है। महिलाओं के लिए सोशल मीडिया पर सुरक्षा की कमी उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और उन्हें समाज से अलग–थलग कर सकती है। इससे वे न केवल अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस करती हैं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।

3.2 सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव

सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता का महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ता है। जब महिलाओं को ऑनलाइन अपमानित किया जाता है, तो उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है, जिससे उनका सामाजिक स्थान और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। यह महिलाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखने का कारण बन सकता है, और उनके सामाजिक संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जरूरी है कि समाज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार की असंवेदनशीलता पर कड़ा रुख अपनाएं और महिलाओं की गरिमा की रक्षा की जाए।

3.3 कार्यस्थल एवं सार्वजनिक जीवन में प्रभाव

सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रभाव उनके कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन में भी पड़ता है। जब महिलाएं सोशल मीडिया पर उत्पीड़न का शिकार होती हैं, तो इसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है। वे कार्यस्थल पर असुरक्षित और मानसिक दबाव महसूस करती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भी अलग–अलग प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो उनकी समृद्धि और विकास में बाधक बनता है। कार्यस्थल में असंवेदनशीलता के खिलाफ एक मजबूत नीति और जागरूकता आवश्यक है।

3.4 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव

सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशीलता का एक बड़ा प्रभाव उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी पड़ता है। जब महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी राय और विचार साझा करने से डरती हैं, तो यह उनके विचारों और आवाज को दबाने का कारण बनता है। यह महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि वे समाज में अपनी बात रखने से कतराती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करते हुए, यह जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और विधि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि वे खुलकर अपनी बात रख सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।

4 विधिक समाधान

4.1 कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन

भारत में महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर उत्पीड़न और असंवेदनशीलता को रोकने के लिए कड़े कानून हैं, जैसे कि आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66ए और 66इ, जो ऑनलाइन उत्पीड़न, अश्लीलता और व्यक्तिगत जानकारी की चोरी से संबंधित अपराधों को सजा देती हैं। हालांकि इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस और न्यायपालिका इन कानूनों के पालन को सुनिश्चित करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन मामलों में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के मामलों में त्वरित और सख्त

कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों को सजा मिले और समाज में एक मजबूत संदेश जाए। इसके लिए कानूनों को और अधिक सख्त और पारदर्शी बनाना होगा, साथ ही उनका सही तरीके से पालन सुनिश्चित करना होगा।

4.2 साइबर अपराध इकाइयों की सुदृढ़ता

साइबर अपराध इकाइयों को सुदृढ़ करना महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली असंवेदनशीलता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में भारतीय पुलिस में साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष इकाइयां हैं, लेकिन इन इकाइयों की सक्षमता और संसाधनों की कमी एक बड़ी समस्या है। इन इकाइयों को तकनीकी उपकरण, विशेषज्ञता और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है, ताकि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले अपराधों का पता लगा सकें और महिलाओं को उत्पीड़न से बचा सकें। साइबर अपराध इकाइयों को सक्रिय, जवाबदेह और संसाधन–संपन्न बनाने के लिए सरकार को विशेष बजट और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, इन्हें समय पर और प्रभावी तरीके से कार्यवाही करने के लिए सक्षम बनाना होगा, ताकि वे सोशल मीडिया पर हो रहे उत्पीड़न और शोषण को जल्दी से पकड़ सकें और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।

4.3 त्वरित न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता

भारत में महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर उत्पीड़न के मामलों में अक्सर न्याय मिलने में समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं कई बार विधिक प्रक्रिया के बोझ से घबराकर अपनी शिकायत वापस ले लेती हैं या न्याय प्राप्त करने में हिम्मत खो देती हैं। त्वरित न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता है ताकि महिलाएं तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें और आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके लिए न्यायालयों को ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई करनी चाहिए। साथ ही, पुलिस को भी इन मामलों में त्वरित जांच और कार्यवाही करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक ऐसी न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता है, जो महिलाओं को विश्वास दिलाए कि वे अपने अधिकारों का संरक्षण करवा सकती हैं और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली असंवेदनशीलता के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। भारतीय पत्रकार राणा

अयूब सोशल मीडिया [1]पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का प्रमुख उदाहरण हैं। वर्ष 2018 में उनके नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई। इसके माध्यम से उन्हें बलात्कार की धमकियाँ दी गईं तथा उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। इस घटना के कारण उन्हें मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। यह मामला साइबर अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। इस केस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता, की कई धाराएँ लागू हो सकती थीं।

यह वाद अध्ययन स्पष्ट करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी की कमी तथा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में कमजोरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुनौती बनती है वर्ष 2022 में 'बुल्ली बाई' नामक मोबाइल एप्लीकेशन [2]के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर उन्हें ऑनलाइन नीलामी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह घटना महिलाओं के सम्मान और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन थी।

इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा यह घटना दर्शाती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध घृणा और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है।

यह वाद अध्ययन यह भी बताती है कि कड़े कानूनों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता और डिजिटल नैतिकता की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. नैतिक एवं सामाजिक समाधान

5.1 डिजिटल साक्षरता और जागरूकता अभियान

डिजिटल साक्षरता और जागरूकता अभियान महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली असंवेदनशीलता को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। महिलाएं अगर तकनीकी रूप से जागरूक होंगी, तो वे सोशल मीडिया के खतरों और उनके सुरक्षा उपायों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। इसके लिए सरकार और विभिन्न संस्थाओं को

[1] *वाद अध्ययन : पत्रकार राणा अयूब का ऑनलाइन उत्पीड़न 2018*
[2] *वाद अध्ययन : 'बुल्ली बाई ऐप' मामला 2022*

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिसमें महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा, निजता, और साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी जाए। साथ ही, एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे महिलाएं सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें और उत्पीड़न की स्थिति में विधिक उपायों का उपयोग कर सकें। इन अभियानों में स्कूल, कॉलेज, और समुदाय केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और शिक्षा दी जा सकती है, ताकि महिलाओं को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए पूरी जानकारी मिल सके।

5.2 लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षा

लैंगिक संवेदनशीलता शिक्षा एक अहम कदम है, जो महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाली असंवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। यह शिक्षा न केवल महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा को समझाने के लिए जरूरी है, बल्कि पुरुषों और समाज के अन्य सदस्यों को भी यह सिखाना महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। इस प्रकार की शिक्षा से पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और आपसी सम्मान बढ़ेगा। इसके अंतर्गत, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, ताकि लोग समझें कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशीलता और उत्पीड़न किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न को कम किया जा सकता है।

5.3 महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण

महिलाओं के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण करना सोशल मीडिया पर उत्पीड़न और असंवेदनशीलता को रोकने के लिए आवश्यक है। इसके लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील बनना होगा। महिलाओं के लिए ऐसे सुरक्षा उपायों की जरूरत है, जो उन्हें ऑनलाइन शोषण और हिंसा से बचाएं, जैसे कि बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र, उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित समाधान, और महिलाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा विकल्प। सोशल मीडिया कंपनियों को महिलाओं के खिलाफ होने वाली असंवेदनशीलता और उत्पीड़न की घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत

कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकार को भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को सख्त करना चाहिए, ताकि महिलाओं को डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षित महसूस हो। यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं सोशल मीडिया का सुरक्षित और सकारात्मक उपयोग कर सकें, न केवल उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

6 साहित्य समीक्षा

1. साहू, एस. (2018). "ऑनलाइन उत्पीड़न में सोशल मीडिया की भूमिका: भारतीय महिलाओं का अध्ययन" इस अध्ययन में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और असंवेदनशीलता की घटनाओं का विश्लेषण किया गया है। शोध में पाया गया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न, अभद्र टिप्पणी और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि भारतीय महिलाओं को सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन्हें इन खतरों से निपटने के लिए विधिक सुरक्षा की आवश्यकता है।
2. पटेल, एम. (2019). "डिजिटल लैंगिक अंतर: भारतीय महिलाओं पर ऑनलाइन उत्पीड़न का प्रभाव" इस शोध में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के प्रभावों पर चर्चा की गई है, जिसमें मानसिक और भावनात्मक नुकसान, सामाजिक बहिष्कार और कार्यस्थल पर असुरक्षा की स्थितियों की बात की गई है। अध्ययन में यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा सख्त विधिक उपायों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।
3. कौर, आर. (2020). "साइबर अपराध और भारतीय कानूनरू महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना" इस अध्ययन में भारतीय साइबर अपराधों के खिलाफ मौजूदा कानूनों का विश्लेषण किया गया है और यह बताया गया है कि कैसे वर्तमान विधिक ढांचा महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न को रोकने में प्रभावी नहीं है।

विशेष रूप से, महिलाओं को सोशल मीडिया पर उत्पीड़न से बचाने के लिए सख्त और प्रभावी कानून की आवश्यकता को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है।

4. चौधरी, ए. (2021). "सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा: विधिक और नैतिक मुद्दे" इस अध्ययन में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ असंवेदनशीलता और उत्पीड़न से संबंधित विधिक और नैतिक मुद्दों का गहन विश्लेषण किया गया है। शोध में यह बताया गया कि महिला सुरक्षा के लिए न केवल विधिक उपायों की जरूरत है, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों की नैतिक जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए। लेख में महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा की गई है।
5. शर्मा, पी., – वर्मा, एस. (2022). "सोशल मीडिया उत्पीड़न का भारतीय महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव" इस साहित्य में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की गई है। अध्ययन में यह पाया गया कि ऑनलाइन उत्पीड़न महिलाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, आत्मसम्मान की कमी, और सामाजिक अलगाव की भावना पैदा करता है। इस अध्ययन ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को साइबर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

7 शोध पद्धति

7.1 अध्ययन की प्रकृति

प्रस्तुत अध्ययन "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता रू विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय पर आधारित है। यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) एवं वर्णनात्मक (Descriptive) प्रकृति का है। अध्ययन में सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति होने वाले असंवेदनशील व्यवहार, साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग, ऑनलाइन अश्लीलता तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग से संबंधित सामाजिक, विधिक और नैतिक पक्षों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा तथा सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को समझना है।

7.2 अध्ययन की प्रविधि

इस अध्ययन में गुणात्मक अनुसंधान प्रविधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, साइबर कानूनों, न्यायालयों के निर्णयों तथा सरकारी रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर होने वाले व्यवहार और उससे उत्पन्न विधिक एवं नैतिक चुनौतियों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही विभिन्न निर्णय विधि के माध्यम से न्यायपालिका की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है।

7.3 आंकड़ों के स्रोत

अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) का उपयोग किया गया है। आंकड़ों का संग्रह विभिन्न पुस्तकों, शोध आलेखों, समाचार पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णयों से किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों एवं साइबर कानून से संबंधित दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया है।

7.4 अध्ययन क्षेत्र

यह अध्ययन भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर होने वाली असंवेदनशीलता तथा उससे संबंधित विधिक एवं नैतिक पहलुओं तक सीमित है। अध्ययन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले व्यवहार का विश्लेषण किया गया है। विशेष रूप से साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग तथा महिलाओं की डिजिटल छवि से जुड़े मुद्दों को अध्ययन का केंद्र बनाया गया है।

7.5 आंकड़ों का विश्लेषण

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) पद्धति के माध्यम से किया गया है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों तथा शोध अध्ययनों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अध्ययन में सोशल मीडिया के दुरुपयोग, महिलाओं की गरिमा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करने के प्रयासों का विश्लेषण किया गया है।

8 न्यायिक मामलों का विश्लेषण एवं व्याख्या

8.1 श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ[1]

मामले के तथ्य:

यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A से संबंधित था। इस धारा के अंतर्गत सोशल मीडिया या इंटरनेट पर "आपत्तिजनक" अथवा "असुविधाजनक" संदेश पोस्ट करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान था। श्रेया सिंघल ने इस धारा को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और तर्क दिया कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। कई लोगों, विशेषकर महिलाओं, को सोशल मीडिया पोस्ट के कारण पुलिस कार्यवाही और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। इस कारण यह मामला डिजिटल अधिकारों और सोशल मीडिया नियंत्रण से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला बन गया।

मुख्य मुद्दे:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है?

क्या सोशल मीडिया पर सामग्री नियंत्रण हेतु बनाए गए विधिक प्रावधान अस्पष्ट और दुरुपयोग योग्य थे?

निर्णय (Judgment):

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह धारा अत्यधिक अस्पष्ट, व्यापक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगाने वाली है। न्यायालय ने यह भी माना कि सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करना लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है तथा केवल असहमति या आलोचना के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता।

---

[1] ए0आई0आर0:2015: उच्चतम न्यायालय पेज0 न0 1523

वर्तमान अध्ययन से संबंधः

यह मामला "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता रू विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सोशल मीडिया पर महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग से संबंधित विधिक पहलुओं को स्पष्ट करता है। साथ ही यह निर्णय ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को भी दर्शाता है।

8.2 सुहास कट्टी बनाम तमिलनाडु राज्य

मामले के तथ्यः

यह मामला भारत के प्रारंभिक साइबर अपराध मामलों में से एक था। आरोपी सुहास कट्टी ने एक महिला के नाम से नकली ई–मेल और ऑनलाइन संदेश बनाकर इंटरनेट पर अश्लील तथा अपमानजनक सामग्री प्रसारित की। आरोपी द्वारा महिला को लगातार ऑनलाइन परेशान किया गया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया। यह मामला भारत में महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर अपराध के विरुद्ध विधिक कार्यवाही का महत्वपूर्ण उदाहरण बना।

मुख्य मुद्देः

क्या इंटरनेट पर अश्लील और अपमानजनक संदेश प्रसारित करना साइबर अपराध की श्रेणी में आता है?

क्या ऑनलाइन माध्यम से किसी महिला की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना दंडनीय अपराध है?

[2] सी०सी० संख्या 4680 AIR: (2004), अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय, एग्मोर, चेन्नई

निर्णय (Judgment):

न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय न्याय संहिता, की संबंधित धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई। न्यायालय ने माना कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग किसी महिला को अपमानित करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने अथवा उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय भारत में साइबर अपराधों के विरुद्ध न्यायिक सख्ती का महत्वपूर्ण उदाहरण माना गया।

वर्तमान अध्ययन से संबंधः

यह मामला "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता रू विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन अश्लीलता तथा महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन जैसे मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। साथ ही यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी विधिक प्रावधान और नैतिक जागरूकता दोनों आवश्यक हैं।

8.3 अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

मामले के तथ्यः

यह मामला एक पत्रिका में प्रकाशित नग्न तस्वीर से संबंधित था, जिसमें प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर अपनी मंगेतर के साथ दिखाई दिए थे। तस्वीर के प्रकाशन के बाद याचिकाकर्ता ने इसे भारतीय न्याय संहिता, की धारा 292 के अंतर्गत अश्लील बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचा, जहाँ यह प्रश्न उठा कि किसी चित्र या सामग्री को अश्लील मानने का आधार क्या होना चाहिए। न्यायालय ने इस विषय पर आधुनिक सामाजिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में विचार किया। यह मामला मीडिया, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण माना गया।

[3] ए0आई0आर0: (2014) 4 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 257

मुख्य मुद्दे:

क्या प्रकाशित तस्वीर भारतीय कानून के अनुसार अश्लील सामग्री की श्रेणी में आती है?

क्या अश्लीलता का निर्धारण पारंपरिक मानकों के बजाय आधुनिक सामाजिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए?

निर्णय (Judgment):

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि किसी सामग्री को अश्लील मानने के लिए उसे समग्र रूप से देखना आवश्यक है। न्यायालय ने "समकालीन सामुदायिक मानक" (Contemporary Community Standards) सिद्धांत को अपनाते हुए कहा कि केवल नग्नता किसी सामग्री को अश्लील नहीं बनाती। यदि सामग्री का उद्देश्य कला, सामाजिक संदेश या अभिव्यक्ति से जुड़ा हो, तो उसे अश्लील नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकता है।

वर्तमान अध्ययन से संबंध:

यह मामला "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता : विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सोशल मीडिया कंटेंट, महिलाओं की छवि तथा डिजिटल नैतिकता से संबंधित विधिक और सामाजिक मानकों को स्पष्ट करता है। यह निर्णय दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर महिलाओं से संबंधित सामग्री का मूल्यांकन संवेदनशीलता, सामाजिक संदर्भ तथा नैतिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

8.4 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

मामले के तथ्य:

यह मामला राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना से संबंधित था। भंवरी देवी बाल विवाह रोकने के अभियान में कार्यरत थीं, जिसके कारण उन्हें सामाजिक विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में

[4] ए०आई०आर० : 1997 उच्चतम न्यायालय वाद पृष्ठ संख्या 3011

याचिका दायर की। उस समय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई विशेष कानून उपलब्ध नहीं था। न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई की।

मुख्य मुद्दे:

क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है?

क्या महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत दिशा–निर्देश आवश्यक हैं?

निर्णय (Judgment):

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने "विशाखा दिशानिर्देश" जारी किए, जिनके अंतर्गत प्रत्येक संस्था और कार्यस्थल को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया। यह निर्णय भारत में महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया।

वर्तमान अध्ययन से संबंध:

यह मामला "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता : विधिक एवं नैतिक समाधान" विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। साथ ही यह निर्णय लैंगिक संवेदनशीलता, नैतिक उत्तरदायित्व तथा संस्थागत जिम्मेदारी की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने में भी समान रूप से प्रासंगिक हैं।

9 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन "भारत में महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता रू विधिक एवं नैतिक समाधान" के अंतर्गत यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया ने जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संचार के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के प्रति

असंवेदनशीलता, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग तथा अश्लील सामग्री जैसी गंभीर समस्याओं को भी बढ़ावा दिया है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और निजता का उल्लंघन एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं विधिक चुनौती के रूप में उभरा है।

अध्ययन में शामिल प्रमुख निर्णय विधि जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, सुहास कट्टी बनाम तमिलनाडु राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य तथा अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों का उपयोग किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं, के सम्मान और अधिकारों के उल्लंघन के लिए नहीं किया जा सकता।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया के नैतिक उपयोग, डिजिटल साक्षरता तथा लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, तथा न्यायालयीय दिशानिर्देश महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं, किन्तु इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों तथा समाज को महिलाओं के प्रति सम्मानजनक और सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए।

9. सुझाव

1. महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर होने वाले ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग तथा अश्लील सामग्री के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता, के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
2. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक, अश्लील तथा हिंसात्मक सामग्री को शीघ्र हटाने के लिए सशक्त शिकायत निवारण तंत्र विकसित

करना चाहिए। साथ ही फर्जी अकाउंट और साइबर अपराधों की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए।

3. महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सेल तथा पुलिस प्रशासन को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि साइबर अपराधों की त्वरित जांच और कार्यवाही संभव हो सके।
4. विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में डिजिटल नैतिकता, साइबर सुरक्षा तथा सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे युवाओं में लैंगिक संवेदनशीलता और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार विकसित होगा।
5. महिलाओं को उनके साइबर अधिकारों, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों तथा विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे सोशल मीडिया पर होने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठा सकें।
6. सोशल मीडिया कंपनियों को महिलाओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए, जैसेकृसुरक्षा फिल्टर, रिपोर्टिंग सिस्टम तथा पहचान सत्यापन की प्रभावी व्यवस्था।
7. सरकार एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा महिलाओं के प्रति सम्मानजनक डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु जन–जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इससे समाज में सकारात्मक और संवेदनशील डिजिटल संस्कृति का विकास होगा।
8. न्यायपालिका द्वारा महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा से संबंधित मामलों में त्वरित सुनवाई और प्रभावी न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके।
9. सोशल मीडिया पर महिलाओं की छवि को सम्मानजनक और सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए नैतिक दिशा–निर्देश तैयार किए जाने चाहिए तथा उनके पालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
10. महिलाओं के प्रति सोशल मीडिया पर असंवेदनशीलता से संबंधित विषयों पर अधिक शोध एवं अध्ययन किए जाने चाहिए, जिससे बदलती डिजिटल चुनौतियों को समझकर प्रभावी नीतियाँ और समाधान विकसित किए जा सकें।

संदर्भ

1. चौधरी, ए. (2021). सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा: कानूनी और नैतिक मुद्दे. अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 12(2), 45-56।
2. कौर, आर. (2020). साइबर अपराध और भारतीय कानून: महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना. साइबर सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों की पत्रिका, 6(1), 23-35।
3. पटेल, एम. (2019). डिजिटल लैंगिक अंतर: भारतीय महिलाओं पर ऑनलाइन उत्पीड़न का प्रभाव. भारतीय डिजिटल अध्ययन पत्रिका, 8(3), 14-28।
4. साहू, एस. (2018). ऑनलाइन उत्पीड़न में सोशल मीडिया की भूमिका: भारतीय महिलाओं का अध्ययन. सोशल मीडिया और लिंग पत्रिका, 3(1), 76-90।
5. शर्मा, पी., & वर्मा, एस. (2022). सोशल मीडिया उत्पीड़न का भारतीय महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव. अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य पत्रिका, 15(4), 112-124।
6. सिंह, एम., & गुप्ता, एन. (2020). साइबर बुलीइंग और कानूनी ढांचा: डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा. साइबर कानून और प्रौद्योगिकी पत्रिका, 5(2), 50-67।
7. रानी, र., & कुमार, एस. (2019). लिंग-आधारित ऑनलाइन उत्पीड़न: एक सामाजिक दृष्टिकोण. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 13(1), 82-95।
8. मिश्रा, एन. (2021). महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा का उभार: कारण, समाधान और कानूनी दृष्टिकोण. महिला अध्ययन पत्रिका, 10(2), 33-49।
9. पटेल, ए., & देसाई, आर. (2019). भारतीय महिलाओं के बीच साइबर कानूनों की जागरूकता: एक सर्वेक्षण-आधारित अध्ययन. साइबर कानून और नैतिकता पत्रिका, 7(4), 110-122।
10. अग्रवाल, वी., & जोशी, के. (2020). भारत में महिलाओं की सोशल मीडिया पर सुरक्षा: एक आलोचनात्मक विश्लेषण. लिंग न्याय पत्रिका, 8(3), 44-59।
11. गुप्ता, आर., & मेहता, एल. (2022). साइबर अपराधों और महिलाओं के लिए डिजिटल कानूनों की मजबूती की आवश्यकता. भारतीय कानून और समाज पत्रिका, 18(2), 23-41।
12. शर्मा, आर., & सिंह, पी. (2021). सोशल मीडिया एक मंच: महिलाओं के सशक्तिकरण या शोषण?. डिजिटल अधिकार पत्रिका, 14(1), 65-80।
13. बंसल, एस., & यादव, ए. (2020). ऑनलाइन उत्पीड़न और कानूनी उपाय: भारतीय कानूनी ढांचे का अध्ययन. भारतीय कानून और समाज पत्रिका, 6(2), 12-25।

14. शर्मा, एस. (2020). भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध: वर्तमान प्रवृत्तियाँ और कानूनी सुधार. अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार पत्रिका, 11(4), 55-67।
15. झा, पी., & कुमार, ए. (2019). महिलाओं के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा उपाय: वर्तमान प्रवृत्तियों और भविष्य की जरूरतों का विश्लेषण. भारतीय प्रौद्योगिकी और कानून पत्रिका, 4(1), 99-113।